

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

भूपेन्द्र सिंह

बनाम

कृष्ण लाल आदि

संख्या

12

2020

अन्तर्गत धारा

53 RTA

नांक

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक  
जो इस आदेश की  
पालना में जारी हुए

15/2/20

वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 व रा के संबंध में प्राथमी पत्र पेश नहीं किया पूर्व में कई अवसर दिए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी न्याय प्राप्त करने का इच्छुक नहीं है। न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। अतः वादी का वाकपत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगति लेकर नम्बर से कम लेकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

